

31.5.24

आज पत्रावली पैरा ड्रि वकील
पार्थी उपस्थित। अपार्थी सं 1 उपस्थित
नहीं हुए इनके विरुद्ध एक्सीप कार्रवाई
की जाती है वकील पार्थी को एक्सीप
बंद हो जाने जमी। पार्थी का सार्थी पत्र
136 LPA स्वीकार किया जाता है विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली केसल सुनार
दोका नम्बर से कम है।

आदेश सुनाया गया।

अपउप अधिकारी
महक जिला दौला